न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–607/2026

C.N.R.NO–UPRP01–003952–2026

रजि० सं०–1029/2026

बाबू उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र श्री वहीद अहमद निवासी ग्राम बगी थाना गंज जिला रामपुर

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **बाबू** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–135/2026 धारा–305(a), 331(4), 317(2) बी०एन०एस० थाना अजीमनगर जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ वाहिद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

3. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा तनवीर साहब मौहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत है। दिनांक 22.06.2026 की रात्रि में तीन अज्ञात व्यक्ति यूनिवर्सिटी के अन्दर से एल्यूमीनियम के दरवाजे को चोरी करके ई रिक्शा पर रख कर ले जा रहे थे कि उसने वहां पर खड़े ग्राम आलिया गंज के दानिश, अनीस अहमद, फय्यूम की सहायता से तीनों चोरो को यूनिवर्सिटी स्थित मेडिकल स्टोर के सामने रोड पर चोरी किये गये एल्यूमीनियम के दरवाजे सहित पकड़ लिया तथा उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपने नाम आफताब, बाबू व रामरतन बताये।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 23.06.2026 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। उसके द्वारा कोई भी घटना कारित नहीं की गयी है और न ही एल्यूमीनियम के दरवाजे आदि उसके कब्जे से बरामद हुये है। वह दिनांक 22.06.2026 की शाम समय करीब 07.30 बजे अपनी रिश्तेदारी में ग्राम लालपुर जा रहा था कि रास्ते में यूनिवर्सिटी के समीप वादी की मोटर साईकिल से उसकी मोटर साईकिल आपस में मामूली रूप से भिड़ गयी, जिसको लेकर वादी मुकदमा ने झूंठी बरामदगी दर्शाते हुये मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसका दर्शाये गये एल्युमीनियम के दरवाजों व भरे रिक्शा से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह न रिक्शा चालक है और न ही स्वामी है। वह गरीब मजदूर व्यक्ति है, जो अपने बुजुर्ग माता पिता व छोटे–छोटे बच्चों का मजदूरी कर भरण पोषण करता है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त

अपने अन्य साथियों के साथ मौहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से एल्यूमीनियम के दरवाजे चोरी करके ई रिक्शा पर रख कर ले जाते हुये सुरक्षा गार्ड/वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना के समय मौके पर पकड़ा गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य साथियों के साथ मिलकर मौहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से एल्यूमीनियम का दरवाजा चोरी करने व बरामद होने का आरोप है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है और न ही पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभियोजन द्वारा प्रकट किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 23.06.2026 से जेल में निरूद्ध होना बताया गया हैं।

7. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर कोई अन्तिम मत व्यक्त किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

8. आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा रूपये 50,000/–का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्षी के उपस्थित रहने पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

9. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः 09–07–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by VIJAY KUMAR
Date: 2026.07.09 15:54:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court